


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

विभाग द्वारा जारी प्रधानाचार्य-उमावि० एवं समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण/समायोजन सम्बन्धी आदेश (कॉलम संख्या-02 में वर्णितानुसार) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन (कॉलम संख्या-04 के अनुसार) एतद् द्वारा जारी किया जाता है :-


क्रसं	विभाग का आदेशांक	नाम कार्मिक मय पद एवं पदस्थापन स्थान	आंशिक - संशोधन
1	2	3	4
01	शिविरा-मा/संस्था / बी-2/45002/ प्रधानाचार्य / स्था-समा/2017 दि 21-12-2017	श्रीमती निधि चौहान प्रधानाचार्य राउमावि केवलपुरा बडीसादडी जिला चित्तौडगढ	आदेश में क.सं. 1 पर अंकित कार्मिक श्रीमती निधि चौहान के सन्दर्भ में वर्तमान पदस्थापन स्थान केवलपुरा बडी सादडी चित्तौडगढ के स्थान पर बीईईओ जवाजा अजमेर चढ़ा जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001-02/प्रधाना.प्र.अ.आ.संशो/2017 दिनांक : 28.12.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही/ पालनार्थ प्रेषित है :-

- 01 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा।
- 02 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
- 03 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को पालनार्थ।
- 04 सम्बन्धित कार्मिक को पालनार्थ।
- 05 रक्षित पत्रावली/ गार्ड पंजिका हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर